ALL INDIA CONGRESS COMMITTEE
24, AKBAR ROAD, NEW DELHI
COMMUNICATION DEPARTMENT

Highlights of Press Briefing **29 Sep, 2024**

Shri Jairam Ramesh, MP and General Secretary (Communications), AICC, and Dr Abhishek Manu Singhvi, MP and Chairman, Law, Human Rights and RTI department, AICC, addressed the media at AICC Hdqrs today.

श्री जयराम रमेश ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा- नमस्कार साथियों, आज एक बहुत महत्वपूर्ण और गंभीर मसले पर आपको अभिषेक सिंघवी जी संबोधित करेंगे, उसके बाद में उसी के बारे में मैं और कुछ कहूंगा और उसके बाद आपके सवाल-जवाब होंगे।

डॉ॰ अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा- नमस्कार दोस्तों। मैं 7-8 भागों में आपको यह कहानी बताऊंगा, बड़ी रोचक कहानी है, लेकिन मैं शुरू करना चाहता हूं यह बोलकर और इंग्लिश-हिंदी एक साथ करेंगे, आज अलग-अलग नहीं बोलूंगा मैं, बीच-बीच में बोलकर अलग-अलग करेंगे। बट मूल बात यह है कि

ऐसे ही नहीं बढ़ी है भाजपा की अथाह कमाई,
इसीलिए भाजपा चुनावों के लिए,
इलेक्टोरल बॉन्ड्स थी लाई,
काली कमाई और बेनाम चंदा,
अब भाजपा का सिर्फ यही रह गया है, 'धंधा'।

I want to tell you as I will explain in a minute in those different parts this story, but the basic point is that for undermining democracy, BJP's plans have always been sinister and everyone is equally responsible including the Finance Minister. In particular this FIR, which we will discuss, has uncovered, unmasked, unsealed and unveiled the true nature of the BJP and in particular of its "numero uno" and "numero duo", लेकिन यह कहानी जहां से शुरू होती है, वहां से शुरू की जाए।

सबसे पहले तो हम आपको अभी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस वार्ता के बाद उसके एक्सट्रेक्ट्स भी देंगे। यह कहानी शुरू होती है जब किस सोच से बनाया गया इलेक्टोरल बॉन्ड और उसके ऊपर टिप्पणी बड़ी स्पष्ट की है, बड़ी व्यापक की है, पुरजोर तरीके से, एनालिटिकल तरीके से की है उच्चतम न्यायालय ने, एक वर्ष से ज्यादा हो गया। मैं उसके आपको तीन-चार कुछ पंक्तियां पढ़ूंगा संदर्भ के लिए। ये सोच तब की है, जब इलेक्टोरल बॉन्ड्स लाए गए थे। उनका उद्देश्य, उनका कारण, उनका पूरा परिणाम क्या होना चाहिए तब सोच लिया गया था। सुप्रीम कोर्ट (की टिप्पणी है), मेरे शब्द नहीं हैं - The disclosure of the particulars of the contributions may affect the freedom of individuals to the limited extent that the political party with the information could coerce those who have not contributed to them. ये सब शब्द तब के हैं, आज ये विदित हुए हैं, प्रमाणित हुए हैं।

Under the current scheme, it is still open to the political party to coerce persons to contribute. Governmental decisions through a seat at the table and quid pro quo arrangements between the contributor and the political formation... यह मैं सिर्फ पंक्तियां पढ़ रहा हूं, मैं पूरा पैराग्राफ नहीं पढ़ रहा हूं। आपको पूरे पैराज एक्स्ट्रेक्ट के रूप में दिए जा रहे हैं हमारे ऑफिस द्वारा। The measure in the Electoral Bond Scheme completely tilts the balance in favour of the purpose of informational privacy and abrogates all informational interests. फिर वापस पैरा के बाद पैरा में quid pro quo का शब्द, शब्दावली, वाक्य इस्तेमाल किया उच्चतम न्यायालय में। मैं पढ़ नहीं रहा हूं, बहुत सारे ऐसे पैराज हैं और अंत में कहा है कि इसलिए Thus, the amendment to the Section, सेक्शन दिया है उन्होंने 182 manifestly arbitrary for treating political contributions by companies and by individuals alike; by permitting the unregulated influence on companies and individuals in the process of governance and violating the principle of free and fair elections etc.

तो यह तो हुई कहानी की शुरुआत, जिसको यद्यपि मैं दोषारोपण कुछ करना चाहता हूं, विलंब के बाद, लेकिन बड़ा स्पष्ट रूप से उच्चतम न्यायालय ने नकारा। अब इसका तीसरा पहलू क्या है? आप ही लोगों ने, यानी प्रेस ने अभी नहीं, पिछले एक वर्ष के अंदर अनेक सार्वजनिक रूप से नाम, किस्से, कहानियां, फैक्ट्स, तथ्य, डेट, सब प्रकाशित की हैं। इसलिए जो मैं कह रहा हूं नया नहीं है, लेकिन पैटर्न क्या रहा है - पहला पैटर्न यह है कि आपने कब लिया इलेक्टोरल बॉन्ड? किस तिथि पर लिया? कितने

का लिया? उसे लेने के पहले कितनी बार दस्तक दी आपके दरवाजे पर ईडी ने और आईटी ने?

उस दस्तक के बाद आपको कितनी प्रताड़नाएं सहनी पड़ीं कभी जेल के अंदर या जेल के बाहर? और उसके बाद यह जादुई छड़ी हुई कि आपने खरीदा 'इलेक्टोरल बॉन्ड'। आपने स्वतः खरीदा, यह आपको विश्वास दिलाया जा रहा है। 'स्वतः' इनवर्टेड कॉमास में है। इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा और उस जादुई छड़ी के बाद या तो आप रिहा हो गए या आपकी पूरी कार्रवाई पर ढील दी गई। इसका यह तीसरा पक्ष है, इसके उदाहरण दर्सों हैं। मेरे काबिल मित्र आपको कई उदाहरण देंगे।

एक उदाहरण है गेमिंग के विषय में हैदराबाद से है, दूसरा उदाहरण है उन व्यक्तियों का जिनके केसेस आपके सामने आए, वो भी हैदराबाद से हैं, उनमें से कोई अप्रूवर बना, किसी ने किस्सा-कहानी सुनाई पहले बिल्कुल विपरीत बोलने के बाद और अंत में उनको छोड़ा गया या बेल मिली इलेक्टोरल बॉन्ड्स बहुत बड़े-बड़े अमाउंट के खरीदने के बाद। तीसरा उदाहरण एक ऐसी कंपनी का है, जिसको लगता है वह एक ही कंपनी है, जो सभी इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्ट्रैक्ट ले लेती है भारत सरकार के। जम्मू-कश्मीर से लेकर दक्षिण तक जो बड़े-बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, वो वही लेती है। इसने लगभग हजार करोड़ या 900 करोड़ का आंकड़ा एक कंपनी का है, इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे हैं। कई कार्रवाई हो रही हैं, हुईं, चलीं, रुक गईं, थम गईं।

उसके बाद इस प्रकार की और कंपनियां है आंध्र प्रदेश में, मैं तेलंगाना की बात नहीं कर रहा हूं, जहां के और उदाहरण थे। दक्षिण में, इत्यादि-इत्यादि और कई तो ऐसे उदाहरण हैं, यह सब आपको हम एक लिखित रूप में देंगे, छपा हुआ है, आप ही लोगों ने छापा है। एक ऐसे ग्रुप की है, जिसका पूरा का पूरा पेड-अप कैपिटल, पूरा का पूरा पूंजी, पूरा का पूरा जो उसकी क्षमता है, वह एक आंशिक रूप से 100 करोड़ की भी नहीं होगी, उन्होंने 500-500 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे हैं।

यह इसका तीसरा पहलू है, उच्चतम न्यायालय के एक्सट्रेक्ट्स के बाद ये उसका तीसरा पहलू है। अब चौथा पहलू, जो एफआईआर की बात है। यह याद रहे, इसका सबसे महत्त्वपूर्ण मुद्दा यह है कि ये एफआईआर ऐसा नहीं है कि मैं रास्ते चलते उठाकर एफआईआर दायर कर दी, ये पुलिस अफसर बैठे हैं, इनको अपनी दे दी उठाकर एफआईआर और किसी प्रदेश में उस पुलिस अफसर ने वो एफआईआर दर्ज कर ली, जी नहीं।

एक प्रावधान होता है, मैं तकनीकी नहीं होना चाहता, उस प्रावधान के अंतर्गत एक फिल्टर होता है, एक जांच होती है प्राथमिक रूप से, उस जांच के आधार पर न्यायालय, न्यायाधीश, किसी भी दर्जे का हो, जिसके पास अधिकार क्षेत्र है, वह उसको सोच-समझकर एक आदेश देता है कि इसमें प्रथम दृष्ट्या रूप से एक दंडनीय चीज हुई है, एक ऑफेंस है, प्राथमिक रूप से ये-ये प्रावधान हैं, जो इसमें उठ सकते हैं। आप इसको देखकर तुरंत एफआईआर दायर कीजिए और यही हुआ, यही प्रक्रिया हुई कर्नाटक में इस एफआईआर में।

एफआईआर में क्या कहा गया है - Accused number 1- Finance Minister, Accused number 2- ED officials, Accused number 3- BJP officials, Accused four Nalin Kumar Kateel and other Constitutional officer bearers इसका भी आपको एक्सट्रेक्ट दे रहे हैं, ट्रांसलेशन भी दे रहे हैं इसका भी आपको... conspired and extorted more than 8,000 crore from the CEO and MD of MNC and TNC corporate companies in the name of Electoral Bonds. Accused A1 with the help of A2 has made thousands of crores of money in a secret way for the benefit of A3 at the national level and accused number- 4, at the Karnataka state level. A1 that is the Hon'ble Finance Minister raided and seized several corporate companies by using accused A2 and seized CEOs and MDs of the corporate companies. Fearing the attack of accused A2, many corporate companies were forced to buy Electoral Bonds worth crores.

उसके बाद नाम दिए हैं, आंकड़े दिए हैं, 230 करोड़ एक केस में और कई करोड़, सब लिखा है एफआईआर में और अंत में लिखा है कि इन-इन प्रावधानों के अंतर्गत, इन-इन आईपीसी और आज-कल जो नई संहिता आई उसके अंतर्गत यह आरोप बनता है और कुल आंकड़ा है 8,000 करोड़ का।

मैं यह कहना चाहता हूं कि इसमें से खैर सब उच्चतम लोगों के नाम भी हैं, भारतीय जनता पार्टी के संबंधित लोग हैं, लेकिन यह सर्वविदित है कि यह वित्त मंत्री का ना अधिकार क्षेत्र है, ना हिम्मत है, ना पूरा वह अकेली कर सकती हैं। इसका आदेश, इसकी संरचना, इसका कार्य कार्यान्वित करना, सब कुछ सिर्फ एक जगह से होता है। हम जानते हैं नंबर वन कौन है, नंबर टू कौन है। हम जानते हैं कि कैसे हुआ, क्यों हुआ, किसके आदेश में हुआ, किसके निरीक्षण-परीक्षण में हुआ, यह ध्यान रखना बहुत आवश्यक है।

अब इसका मैं पांचवा प्रकरण आपको बताना चाहता हूं कि जब इलेक्टोरल बॉन्ड्स बने, तो आरबीआई के गवर्नर के स्तर के एक व्यक्ति ने क्या कहा। जब यह बना रहे थे, प्रस्तावना थी, संरचना थी, जब यह कार्यान्वित नहीं हुआ था, सबसे ज्यादा एक माना जाता है स्टैचूट के अंदर बना है, कानून के अंदर एक अलग संस्था है, उसके सिटिंग गवर्नर ने और उनका क्या हश्र हुआ, हम जानते हैं, उसके बाद यह लिखा था। यह है 14 सितंबर 2017 को और इसके बाद दो चिट्ठियां और हैं, जिसके बाद उनको इस्तीफा देने पर विवश किया गया।

We are concerned that the issue of Electoral Bonds has the possibility of misuse more particularly through the use of shell companies great reputational risk मैं पूरा नहीं पढ़ रहा हूँ, provides anonymity, we believe this can be better achieved in a different way, otherwise it can lead to money बाद में उन्होंने एक बार और चिट्ठी लिखी, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में कहा- fraud with serious risk of money laundering, मैं तो कोटेशन कर रहा हूं, मेरे कोई शब्द नहीं हैं। यह आरबीआई के माननीय गवर्नर लिखते हैं सरकार को और सरकार उसको डस्टबिन में फेंक देती है, उनको हटा देती है, यह सोच थी।

इसका अगला पक्ष, जो मेरे वरिष्ठ मित्र से सीधा संबंध रखता है और जिसमें मेरा प्रिविलेज है, कानूनी रूप से मैं पेश हो रहा हूं। इस सबको दायर करने के लिए आपने एक फिक्शन और किया। आप जानते थे कि असंवैधानिक है, आप जानते थे कि जो लोग खड़े हो सकते हैं, बोल सकते हैं, वो इसका विरोध करेंगे। आप जानते थे कि आप इसको राज्यसभा में पारित नहीं कर सकते हैं। तो आपने इसमें टैग लगा दिया 'मनी बिल' का। आज तक वह मामला पेंडिंग है, निलंबित है, इनके नाम से केस है बल्कि, जयराम रमेश बनाम so and so और मेरा पूरा मानना है कानूनी रूप से, संवैधानिक रूप से कि किसी रूप से दूर-दूर तक यह 'मनी बिल' नहीं बनता। इसका एक विकृत रूप सिर्फ फ्रॉड करके इसको मनी बिल बोला गया, लेकिन वह उच्चतम न्यायालय निर्णित करेगा।

इससे सबसे बड़ा महत्त्वपूर्ण मुद्दा क्या उठता है, मैं अभी जल्द ही संक्षिप्त में खत्म करने वाला हूं। एक व्यापक सबसे बड़ा मुद्दा क्या है- मुद्दा है लेवल प्लेइंग फील्ड। आपको मालूम है समतल जमीन एक निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव के लिए अति आवश्यक है और निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव लोकतंत्र के लिए, गणतंत्र के लिए अति

आवश्यक है और गणतंत्र और लोकतंत्र और निष्पक्ष चुनाव और समतल जमीन इसी कारण से बेसिक स्ट्रक्चर, संविधान के मूल ढांचे का एक अभिन्न अंग बन जाते हैं।

तो यह उस मूल ढांचे की नींव पर प्रहार करता है और इस बात का एक प्रकार से 2015 की लॉ कमीशन रिपोर्ट ने पूर्वानुमान कर दिया था, यद्यपि उस वक्त इलेक्टोरल बॉन्ड्स नहीं आए थे। उन्होंने पूरी लॉ कमीशन की रिपोर्ट लिखी है, 255वीं रिपोर्ट। कि आप किसी भी, मैं पढ़ नहीं रहा उसको, कोटेशन को नहीं पढ़ रहा हूं, लेकिन मैं आपको संक्षिप्त बता रहा हूं उसको, मेरे पास सामने कोटेशन है। किसी रूप से येन-केन-प्रकारेण, तौर-तरीके बदलकर, चालाकी से जहां आप रुपया ले आते हैं, तो रुपया it is undeniable that financial superiority translates into electoral advantage and therefore richer candidates and richer parties have a greater chance of winning elections and so on यह सीधा हमारे गणतांत्रिक-लोकतांत्रिक सिस्टम के ऊपर एक जबरदस्त प्रहार है।

तो इसलिए दोस्तों मैं अपनी बात को अंत करना चाहता हूं यह कहकर कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स स्कीम (EBS) और कुछ नहीं है, सिर्फ एक्सटॉर्शनिस्ट बीजेपी स्कीम (EBS), सिर्फ वही है। यह है एक नया वर्जन, एक नया जुमला, उस पुराने जुमले के ऊपर- 'खाऊंगा भी, चुराऊंगा भी और वसूली के लिए सताऊंगा भी'। यह सिर्फ वित्त मंत्री की बात नहीं, जिनको तो तुरंत इस्तीफा देना ही चाहिए। मुझे वैसे दुर्भाग्यपूर्ण रूप से इसका कोई संदेह नहीं है कि वो नहीं देंगी, लेकिन हम पार्टी की हैसियत से, देश की तरफ से पूरे पुरजोर तरीके से उनका इस्तीफा तो मांगते ही हैं। लेकिन क्या इस देश में हम लोग घास खाते हैं कि हमको पता नहीं है कि इसकी जिम्मेदारी कहां रुकती है। इसकी शुरुआत हुई जिम्मेदारी वहीं से, उसी घर से जहां इस देश के सब नंबर वन रहते हैं और इसका अंत भी, डायरेक्शन भी, इसको कार्यान्वित करना भी, इसका नियंत्रण भी सिर्फ वहीं से होता है।

मैं अंत करूंगा बात दोहराकर माननीय राहुल गांधी जी की, जिन्होंने एक एंटायर करप्शन साइंस की बात की थी इस विषय में और कहा था - उन्होंने हमको एक नई टेक्नोलॉजी सिखाई है बीजेपी ने, एक पूरी साइंस बना दी है कि छापा डालकर चंदे की वसूली कैसे होती है, ये उनके शब्द हैं, काफी निकट अभी हाल में कहे गए हैं। चंदा लेकर ठेका कैसे बांटा जाता है, भ्रष्टाचारियों को धोने वाली वाशिंग मशीन कैसे काम करती है, एजेंसियों को वसूली एजेंट बनाकर बेल और जेल को खोल कैसे सकते हैं, इत्यादि-इत्यादि। तो यह आपने एक बहुत जबरदस्त षड्यंत्र, कॉन्सपिरेसी

देखी है। अंत में दोस्तों मैं यह कहना चाहूंगा कि यह एक न्यायिक शुरुआत है, यह न्यायपालिका और न्यायाधीश द्वारा माइंड अप्लाई करके एक शुरुआत इनिशिएटिव है।

हम आशा और विश्वास करते हैं कि न्यायिक प्रक्रिया द्वारा जो लोग इस महान षडयंत्र में, जिसमें सिर्फ एक एफआईआर में 8,000 करोड़ का आंकड़ा है, उनको समन किया जाएगा, अगला स्टेप होता है समन, उनके स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए जाएंगे और उनके आधार पर उनको गिरफ्तार किया जाएगा। यह फौजदारी कानून की एक ऐसी प्रक्रिया है, जो इनके लिए भी बराबर है, हमारे लिए बराबर है। यद्यपि पिछले 10-12 सालों में इसका द्वेषपूर्ण इस्तेमाल सिर्फ एक तबके के लिए किया गया है, राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के विरुद्ध, लेकिन आज अगर यह केस बनता है सीधा समंस का, इंटेरोगेशन का, गिरफ्तारी का... तो इससे बेहतर केस कोई हो नहीं सकता, लेकिन मैं समझता हूं कि उससे पहले आंख की शर्म आती है और आंख की शर्म कम से कम न्यूनतम रूप से यह इस्तीफा तुरंत मांगती है।

श्री जयराम रमेश ने कहा- मैं कुछ बातें कहूंगा पृष्ठभूमि को लेकर। आपको याद होगा 15 फरवरी, 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया था कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम गैर संवैधानिक है, ये संविधान के खिलाफ है और उसको अन्कॉन्स्टीट्यूशनल घोषित किया सुप्रीम कोर्ट ने। उसके बाद 21 मार्च, 2024 को सुप्रीम कोर्ट के दबाव के कारण एसबीआई ने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सारी जानकारी पब्लिक में डाल दी। किसने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा है, कब खरीदा है और किन-किन पार्टियों को फायदा पहुंचा है। ये 21 मार्च, 2024 को ये जानकारी प्रकाशित हुई।

उसी के दो दिन बाद यानी कि 31 मार्च, 2024 को हमारी पार्टी ने उस जानकारी को लेकर पायथन कोड आपको याद होगा, पायथन कोड का इस्तेमाल करके हम लोगों ने चार रास्ते ढूंढ निकाले, जिससे ये षडयंत्र रचा गया और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, ये चार रास्ते क्या थे -

पहला रास्ता था- चंदा दो, धंधा लो, ये सीधा रास्ता था। चंदा दो, धंधा लो। दूसरा रास्ता था- ठेका लो, चंदा दो। क्या फर्क है इन दोनों में। पहला रास्ता, चंदा दो, धंधा लो। ये प्रीपेड हो गया। दूसरा रास्ता जो था, ठेका लो, चंदा दो या रिश्वत दो, उसको कह सकते हैं रिश्वत दो, ये पोस्टपेड हो गया। तो पहला रास्ता प्रीपेड था। दूसरा रास्ता पोस्टपेड रास्ता था। अब देखिए, तीसरा रास्ता क्या था, जो इस एफआईआर

के संदर्भ में अहम महत्व रखता है और ये तीसरा रास्ता था, हफ्ता वसूली और ये हफ्ता वसूली का दूसरा नाम पोस्टरेड... पोस्टपेड नहीं- पोस्टरेड। ऐसी कई कंपनियां थीं, जिन पर रेड हुई। उन्होंने इलेक्ट्रोल बॉन्ड खरीदा और वो छूट गईं, ईडी के जाल से छूट गईं। तो ईडी का इस्तेमाल, भारी इस्तेमाल हुआ इस तीसरे रास्ते में। यानी कि हफ्ता वसूली वाले रास्ते में... पोस्टरेड रास्ते में।

चौथा रास्ता था, फर्जी कंपनी। आज भी नहीं पता चल पाया है इन फर्जी कंपनियों का असली मालिक कौन है। हम अनुमान लगा सकते हैं. क्योंकि हमारे देश में शेल कंपनियों के कई उस्ताद हैं। तो हो सकता है, वास्तविक है कि ये शेल कंपनी भी उन्हीं की होंगी। तो ये चार रास्ते कुल मिलाकर बीजेपी को साढ़े पांच साल में छह हजार करोड़ रुपए से भी ज्यादा चंदा वो इकट्ठा कर पाए हैं। चंदा दो, धंधा लो- प्रीपेड। ठेका लो, रिश्वत दो- पोस्टपेड। हफ्ता वसूली- पोस्टरेड और चौथा- फर्जी कंपनी।

तो ये है बैकग्राउंड, ये है पृष्ठभूमि इस एफआईआर की। चार महीने से हम मांग कर रहे हैं कि एक एसआईटी होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट में, ताकि पूरा खुलासा हो कि इन्होंने फायदा उठाया है इलेक्टोरल बॉन्ड का। क्यों इलेक्टोरल बॉन्ड उन्होंने खरीदा, उन्हें क्या धमकियां दी गईं थीं, ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई और कैसा दुरुपयोग हुआ ताकि कंपनियों को मजबूरन वो इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदना ही पड़ा।

हम ये मांग करते आए हैं। हमने कई बार जेपीसी की भी मांग की है इस मामले को लेकर। पर परसों के दिन बैंगलोर के एक विशेष कोर्ट के आदेशानुसार एक एफआईआर दर्ज हुई है और अभी-अभी सिंघवी जी ने आपको बताया है अगले कदम क्या होंगे। समन होंगे, स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए जाएंगे, पर ये बात जो उन्होंने कही है, मैं उसको फिर से दोहराऊंगा - इस एफआईआर में हमारे कहने से नहीं, कोर्ट के कहने से ये जो नाम एफआईआर में शामिल किए गए हैं, ये कोर्ट की वजह से, कोर्ट ने कहा है, आदेश दिया है। विशेष अदालत ने आदेश दिया है।

एक्यूज्ड नंबर-1, सर्वोपरि देश की हमारी वित्त मंत्री हैं, उनको फौरन इस्तीफा देना चाहिए नैतिक रूप से, न्यायिक रूप से और राजनीतिक रूप से। वो दोषी हैं। ईडी, इनकम टैक्स ये दो संस्थाएं सीधे वित्त मंत्रालय से जुड़ी हुई हैं और एसबीआई भी वित्त मंत्रालय के ज्यूरिस्डिक्शन में आता है। तो एक्यूज्ड नंबर-1, जो हमारे यूनियन वित्त मंत्री हैं, भारत के वित्त मंत्री हैं, उनको फौरन इस्तीफा देना चाहिए। ऐसे तो जो कार्रवाई होनी है न्यायिक रूप से, अभी-अभी जो सिंघवी साहब ने कहा है, वो की

जाएगी, वो चलती रहेगी, पर आज हमारी मांग है इस एफआईआर को मद्देनजर रखते हुए वित्त मंत्री का इस्तीफा अनिवार्य है।

On a question that this FIR has been filed to deviate from MUDA issue, Dr. Abhishek Manu Singhvi said- Your answer is clear in your question. Which person has said that the Congress and any Congressman had the power even much less the actual action of going and telling him that please buy this bond otherwise I will harass you otherwise I will do this that… where is the allegation? The allegation is only because the so-called ruling elements in ruling parties, in ruling seats had the power that's how the allegation starts. So, it's a completely lopsided, ridiculous, perverse kind of comment to make saying that the same thing should apply to the Congress. No other party in this country for the last 12 years has not only had this power, but has exercised it so brazenly, so perversely, so malafide. So, the allegation is based on that who exercises this power.

श्री जयराम रमेश ने कहा- देखिए, एफआईआर क्यों दर्ज हुई है - एफआईआर इसलिए दर्ज हुई है, क्योंकि संस्थाओं का दुरुपयोग हुआ है, धमकी दी गई है, उत्पीड़न हुआ है। जैसा कि मैंने कहा कि हफ्ता वसूली का रास्ता अपनाया गया है और कोर्ट ने कहा है, ये एक्सटोर्शन है। धमकी देकर चंदा लिया गया है। वही तो मूल कारण है। मूल बात तो ये है और पिछले दस साल से ईडी हमारे हाथ में, कांग्रेस पार्टी के हाथ में नहीं है, इनकम टैक्स हमारे हाथ में नहीं है, सीबीआई हमारे हाथ में नहीं है, तो हम कैसे इन संस्थाओं का दुरुपयोग कर सकते हैं।

अगर इन संस्थाओं का दुरुपयोग हुआ है, जो कोर्ट ने माना है और कोर्ट ने कहा है, तो वास्तविक है कि गुनहगार तो बीजेपी है, बीजेपी पार्टी है, बीजेपी के नेता हैं। तो ये आरोप लगाना नेता प्रतिपक्ष कर्नाटका में अशोक जी के द्वारा बिल्कुल बिना तथ्य है, बेमतलब है और ये एफआईआर इसलिए दर्ज की गई है, क्योंकि विशेष अदालत ने कहा कि ये एफआईआर दर्ज करो, ये आदेश दिया गया और उस आदेशानुसार ये एफआईआर दर्ज हुई है। मैं फिर से स्पष्ट कर देना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी का इस एफआईआर से कुछ लेना-देना नहीं है। सिर्फ कोर्ट ने आदेश दिया, एफआईआर दर्ज हुई। हम इसके पीछे नहीं हैं। जो व्यक्ति विशेष अदालत गए थे, वो कांग्रेस कार्यकर्ता नहीं हैं, कांग्रेस का उनके साथ कोई संबंध नहीं है। पर ये बात सही है कि चार महीने पहले मैंने खुद ये चार रास्ते ढूंढ निकाले थे पायथन कोड के द्वारा और ये जनता के सामने हमने रखा था।

सभी पार्टियों को इलेक्टोरल बॉन्ड मिला है, पर बीजेपी एकमात्र पॉलिटिकल पार्टी है, जिसने ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई का दुरुपयोग करके चंदा इकट्ठा किया है। वो हफ्ता वसूली का रास्ता सिर्फ बीजेपी ही ने अपनाया है, कोई और पार्टी अपनाने की स्थिति में नहीं थी, क्योंकि इन संस्थाओं का कंट्रोल इनके हाथ में है और खासतौर से वित्त मंत्री के हाथ में है।

On another question that how do you want this FIR to proceed, Dr. Abhishek Manu Singhvi said- Point number- 1, all the agencies, all the official organs know very well how to proceed because they have been in fact proceeding against a large number of political opponents for the 11 years prior… that's point number-2. So, they don't have to be told how to proceed. Number-2, it is however very clear that this kind of bias and 'पक्षपात' will happen because these agencies have been controlled completely and subordinated to the will of the number one and number two and powers that be.

Number- 3, therefore we would certainly demand a completely objective probe under the court control, but more importantly, ultimately supervised, either by the Supreme Court or by an SIT of the Supreme Court. The JPC will come separately later, in fact sometimes the JPC gets into a political debate and it gets defused. We are now talking law first. The first need of the hour is for the legal process started by this court order to take its course and to be supervised by the courts, both the High Court and ultimately the Supreme Court to prevent any-any interference, or distortion or subordination.

Shri Jairam Ramesh added- I would remind you that we had demanded an SIT of the Supreme Court on the 23rd of March, 2024. From March 23rd, we have been demanding an SIT of the Supreme Court and as Dr. Singhvi has mentioned, that remains our demand. JPC is a separate demand, but as far as the Electoral Bond 'Mahaghotala' is concerned, particularly as it relates to the misuse of the ED, Income Tax, and CBI to threaten companies and take donations from them for the party, our demand has been consistent that there should be a Supreme Court monitored enquiry through an SIT.

On another question that what would be the judicial roadmap regarding the FIR, Dr. Abhishek Manu Singhvi said- No! I have already said that the normal roadmap of criminal law is, first- sufficient facts, application of mind… second- on that FIR registration… these two things have been done. Three- summoning the accused, four- interrogation and fifth- on the basis of clear material which is available in the public record including from the prior Supreme Court judgement, I would say- arrest, but above this, in the middle

of all this, it must be preceded by some small sliver, some small little piece of moral integrity, and moral responsibility which should be resignation.

It's a very small thing. It's an FIR which has been done and then ultimately because of the need to have objectivity, because of the way in which every institution has been sub-owned by this government at the central level and wherever they are in the power in the states, the need for the Supreme Court to have an absolutely independent body in the nature of an SIT to monitor it… here is the six, seven things all together.

On another question that do you think that these irregularities are related to the present Finance Minister's tenure or were these before also, Dr. Abhishek Manu Singhvi said- Well, the bulk of the operation of the Electoral Bonds has been certainly during her tenure, but I would not certainly limit it in any manner. There is no question of limiting facts, when a criminal investigation is warranted under a court order, the criminal investigation has to go back to the root. It is not a limited period, it is not limited to incumbents, its limit can only be the start, the source, the creation, and onwards. There is no limitation here, in terms of even the Supreme Court order which said- okay! Now, we are giving a judgement disclosed from so and so date. This is a criminal investigation. It can and should go back to the source and everybody is covered.

Shri Jairam Ramesh added- It is just, there was a matter of fact, five out of the six years, the Electoral Bond scheme operated, the present Finance Minister was the Finance Minister just as a matter of… five years out of six years. In any case, Finance Minister is a continuing entity. The office of the Finance Minister is a continuing entity and the control over the ED, the control over the Income Tax, the control over SBI in some ways, is all the responsibility of the Finance Minister of the day.

Sd/-
Secretary
Communication Deptt.
AICC